न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), जालौन स्थान उरई।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–294/2026

सरकार बनाम अरूण भदौरिया

मु0अ0सं0–1934/2022
धारा–135 विद्युत अधिनियम
थाना–ए0पी0टी0 जालौन, जिला जालौन

दिनांकः 14.03.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त अरूण भदौरिया पुत्र शिवराम की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तुत करके प्रस्तुत प्रकरण निस्तारित करने की याचना की गयी। पत्रावली पर उपलब्ध बिल धनराशि जमा करने की रसीदें एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उरई द्वारा निर्गत पत्र संख्या–13247/वि.वि.ख.–2/उरई दिनांकित 13.03.2026 के अनुसार उपभोक्ता ने **शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण धनराशि** जमा कर दी है। विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की गयी है तथा उक्त सत्यापन आख्या को Submitted किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 152 स्वीकार करते हुये वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद संख्या–294/2026 अन्तर्गत धारा 152 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है एवं अभियुक्त अरूण भदौरिया को दोषमुक्त कर उसका व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त कर उसके प्रतिभू को दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(पारूल पँवार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
जालौन स्थान उरई।

Digitally signed by PARUL PANWAR
Date: 2026.03.30 11:08:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court